उद्देश्यों और कारणों का कथन

इस विधेयक का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2002-2003 के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करना है। विधेयक के विभिन्न उपबंधों को खंडों पर टिप्पण में स्पष्ट किया गया है।

नई दिल्ली,
28 फरवरी, 2002 **यशवन्त सिन्हा**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 और अनुच्छेद 274 के अधीन राष्ट्रपति की सिफारिश

[वित्त मंत्री श्री यशवन्त सिन्हा के, लोक सभा के महासचिव को भेजे गए, तारीख 28 फरवरी, 2002 के पत्र सं० फा० 2(11)-बी०(डी०)/2002 का हिंदी अनुवाद]

राष्ट्रपति, प्रस्तावित विधेयक की विषय-वस्तु से अवगत होने पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 274 के खंड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 117 के खंड (1) के अधीन, वित्त विधेयक, 2002 को लोक सभा में पुरःस्थापित किए जाने की सिफारिश करते हैं और साथ ही लोक सभा से विधेयक पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

2. यह विधेयक लोक सभा में 28 फरवरी, 2002 को बजट पेश किए जाने के तुरंत बाद पुरःस्थापित किया जाएगा।